

Continuation Note Sheet

10/5/17

वकील शर्मा उपायुक्त आदेशानुसार पेश
करने के लिए कानून की आदेशानुसार -
जारी हो पत्रावली दिनांक 20.6.17 को
पेश हो

20-6-17

वकील शर्मा उपायुक्त वकील शर्मा शर्मा
अप्राधीनता की तलबी हेतु समस्त तलबाना
पेश नहीं किया गया बार-बार तलबी
हेतु वकील शर्मा को छि समस्त तलबाना
पेश करने की हिदायत दिये जाने के उपरान्त
भी समस्त तलबाना पेश नहीं किया गया है
अतः पत्रावली अदम्य तकदीलान शर्मा
की जाती है पत्रावली नम्बर से क्रम
की जाकर बाद तकदील शरिबल इफ्तर
है।
(अशपाल आहूजा)